न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 02 / 2018

हरेन्द्रपाल पुत्र जगन सिह जाति जाट निवासी नरायना कटता तहसील डीग जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–हीरालाल । पिसरान बलवराम जाति गूजर निवासी पान्होरी तहसील डीग
2–गोपालराम । जिला भरतपुर
3–बलराम सिह पुत्र धर्मसिंह

.....अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्व उपखण्ड अधिकारी डीग श्री दुलीचन्द मीणा व मुकदमा हरेन्द्रपाल बनाम हीरालाल नम्बर 117 / 17 अन्तर्गत धारा 235

उपस्थितः–
श्री पंकज कुमार अभिभाषक प्रार्थी
श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 9.4.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी डीग के न्यायालय में मुकदमा हरेन्द्रपाल बनाम हीरालाल नम्बर 117 / 17 अन्तर्गत धारा 235 विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दिया जाना एवं अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन मुकदमा को अपने माफिक कराये जाने की धमकी प्रार्थी को दिये जाने के कारण विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि एस.डी.ओ.डीग न्यायालय में हरेन्द्रपाल बनाम हीरालाल प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही हैं, नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का कारण पूछा गया तो उन्होने

.....2

बताया कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करना है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी का व्यवहार प्रार्थी के खिलाफ लगा। उन्होने यह भी बताया कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से बातचीत होना बताते हुये प्रार्थी को धमकी दी है कि प्रकरण को वह अपने माफिक करायेगा। उनका यह भी तर्क है कि ऐसी स्थिति में अब प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अतः प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढन्त तथ्यों पर पेश किया गया है। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी एवं प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप के साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। दिनांक 8.1.2018 को जो धमकी देना बताया गया है उसका स्थान समय एवं किन किन व्यक्तियों के सामने दी गई है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और ना हीं उनके शपथ पत्र वगे. पेश किये गये हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी का इरादा अप्रार्थी के खरीद शुदा रकवा में लगे हुये डीप बोर को बंद कराने का है। तथा विचाराधीन प्रकरण स्टे प्रार्थना पत्र को फैसल नहीं होने देने के इरादे से प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आरआरटी2012 (1) पेज 437 की ओर आकर्षित करते हुये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रुलिंग आरआरटी2012 (1) पेज 437 का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके कथनों को समर्थन मिलता हो। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official